(84)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 1258–पीबीआर/17 विरूद्ध आदेश दिनांक 18–10–16 पारित द्वारा राजस्व निरीक्षक, बैरसिया जिला भोपाल प्रकरण कमांक 76/अ–12/2015–16.

श्रीमती रतन बाई पत्नी प्रभूलाल
निवासी ग्राम लालूखेडी
तहसील बैरसिया जिला भोपाल ....आवेदिका

विरूद्ध

कृष्ण राज सिंह पुत्र विकम सिंह
निवासी ग्राम लालूखेडी
तहसील बैरसिया जिला भोपाल ....अनावेदक

श्री के.के. द्विवेदी, अभिभाषक, आवेदिका
श्री एम.एस. रावत, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::
(आज दिनांक 10/8/17 को पारित)

आवेदिका द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक, बैरसिया जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 18–10–16 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण तथ्य सक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक कृष्ण राज सिंह द्वारा तहसीलदार, बेरसिया के समक्ष उसके भूमिस्वामी स्वत्व की ग्राम जमूसर खुर्द तहसील बेरसिया जिला भोपाल स्थित सर्वे कमांक 264/2/2/2/1 रकबा 1.360 हेक्टेयर एवं सर्वे कमांक 264/2/2/2/2 रकबा 1.364 हेक्टेयर भूमि के सीमांकन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । राजस्व निरीक्षक वृत्त 2 बैरसिया द्वारा प्रकरण कमांक 76/अ–12/2015–16 दर्ज कर दिनांक 18–10–16 को सीमांकन कराया जाकर दिनांक 1–11–16 को सीमांकन आदेश पारित किया गया । राजस्व निरीक्षक के इसी सीमांकन कार्यवाही के विरूद्ध आवेदिका द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा सीमांकन कार्यवाही में आवेदिका को किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई ह, और उसकी अनुपस्थिति में सीमांकन कार्यवाही की गई है, जो कि अवैधानिक होने से इसी आधार पर निरस्त किये जाने योग्य है । यह भी कहा गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा सीमांकन कार्यवाही में पड़ोसी कृषकों को सूचना नहीं दी गई है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा स्थायी सीमा चिन्हों से सीमांकन नहीं किया गया है । तर्क में यह भी कहा गया कि अनावेदक की ओर से सीमांकन हेतु आवेदन पत्र दिनांक 13–6–2016 को प्रस्तुत किया गया है, जबकि राजस्व निरीक्षक द्वारा सीमांकन कार्यवाही दिनांक 2–6–2016 को प्रारम्भ कर दी गई है, जो कि पूर्णतः अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही है । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा आवेदिका की तामीली उसके पुत्र राजू पर होना दर्शायी गई है, जो कि नाबालिग है ।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा विधिवत आवेदिका को सूचना दी गई है, जो कि उसके पुत्र राजू पर तामील भी हुई है । यह भी कहा गया कि सीमांकन कार्यवाही में आवेदिका का पुत्र राजू उपस्थित रहा है, परन्तु उसके द्वारा सीमांकन पंचनामा में हस्ताक्षर नहीं किये गये हैं । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा पड़ोसी कृषकों को विधिवत सूचना दी जाकर स्थायी सीमा चिन्हों से सीमांकन किया गया है । उनके द्वारा निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । प्रकरण में संलग्न सूचना पत्र को देखने से स्पष्ट है कि आवेदिका पर विधिवत सूचना पत्र की तामीली नहीं करायी गई है । सूचना पत्र से यह स्पष्ट नहीं है कि सूचना पत्र की तामीली किस पर करायी गई है, जबकि सीमांकन पंचनामा में उल्लेख है कि सूचना पत्र की तामीली आवेदिका के पुत्र राजू पर करायी गई है, इस सम्बन्ध में आवेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि राजू नाबालिग है, और नाबालिग पर तामीली विधिवत नहीं है, इसका प्रतिवाद अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा नहीं किया गया है । संहिता के प्रावधानों के अनुरूप नाबालिग पर तामीली मान्य

योग्य नहीं है । अतः स्पष्ट है कि राजस्व निरीक्षक द्वारा आवेदिका को विधिवत सूचना नहीं देकर उसकी अनुपस्थिति में सीमांकन कार्यवाही की गई है, और सीमांकन में अनावेदक की भूमि पर आवेदिका का अवैध कब्जा दर्शाया गया है, जो कि नैसर्गिक न्याय के विपरीत कार्यवाही है । इस प्रकरण में महत्वपूर्ण विचारणीय प्रश्न यह है कि दिनांक 18–10–2016 को सीमांकन कार्यवाही के सम्बन्ध में सूचना पत्र दिनांक 17–10–2016 को अर्थात एक दिन पूर्व ही जारी किया गया है, जो कि विधिसंगत एवं न्यायिक कार्यवाही नहीं है । इस प्रकरण में महत्वपूर्ण विचारणीय प्रश्न यह है कि अनावेदक द्वारा सीमांकन आवेदन पत्र दिनांक 13–6–2016 को प्रस्तुत किया गया है, जबकि सीमांकन प्रकरण पूर्व में ही दिनांक 2–6–2016 को दर्ज कर लिया गया है, जो कि औचित्यपूर्ण कार्यवाही नहीं है । इसके अतिरिक्त सीमांकन पंचनामा से यह भी स्पष्ट नहीं है कि पड़ोसी कृषकों को सूचना दी गई है । इस सम्बन्ध में 2010 आर.एन. 259 रामसुशील शर्मा विरूद्ध हरिभजन तिवारी तथा अन्य में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है :–

> ''धारा 129–कार्यवाही–कार्यवाही से पूर्व समीपवर्ती कृषक को सूचना देना विधिक अपेक्षा है ।''

सीमांकन पंचनामा से यह भी स्पष्ट नहीं है कि सीमांकन स्थायी सीमा चिन्हों से किया गया है । उपरोक्त विश्लेषण एवं प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्त के प्रकाश में राजस्व निरीक्षक द्वारा की गई सीमांकन कार्यवाही एवं पारित आदेश निरस्त किये जाने योग्य हैं ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर राजस्व निरीक्षक, बैरसिया जिला भोपाल द्वारा कराया गया सीमांकन दिनांक 18–10–16 एवं पारित आदेश दिनांक 1–11–16 निरस्त किये जाकर निगरानी स्वीकार की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर